संख्या-33/2023/ पी-295/001-38-9002 002 8 2022

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2023**

विषयः-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रुप में केन्द्रांश रू0 11.95 करोड़ तथा केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 7.97 करोड़ की धनराशि, कुल रु0 19.92 करोड़ (रूपये उन्नीस करोड़ बानबे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3784/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2023-24, दिनांक-03.08.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रुप में केन्द्रांश रू0 11.95 करोड़ तथा केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 7.97 करोड़ की धनराशि, कुल रु0 19.92 करोड़ (रूपये उन्नीस करोड़ बानबे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रुप में केन्द्रांश रू0 11.95 करोड़ तथा केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 7.97 करोड़ की धनराशि, कुल रु0 19.92 करोड़ (रूपये उन्नीस करोड़ बानबे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आकड़ों की शुद्धता, अनुमन्यता एवं पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः उसी मद में निर्धारित सीमांतर्गत अनुमन्य होगा, जिसकी अनुमन्यता योजना की गाइडलाइन्स में निर्धारित है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर ब्याज अर्जन के उद्देश्य से किसी बैंक खाता/डाकघर में नही रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन्स/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के नियमानुसार व्यय होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 11,95,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पंचानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 5054043370201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 7,97,00,000 (रुपये सात करोड़ सत्तानवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 5054043378901 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **ई0-2-108/दस-2023-24 दिनांक-18.08.2023** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

संख्या-33/2023/ पी-295(1) /001-38-9002 002 8 2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्याय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यनयक) अनुभाग-1
7- श्री राजेन्द्र राम (नोडल अधिकारी), उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
8-गार्डबुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।